न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014

निग - 909 - III - 14

शिवेन्द्र पुत्र कमल सिंह यादव, निवासी—ग्राम तेरही, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

1 अमोल सिंह पुत्र श्री घारीराम लोधी

2 प्रमोद सिंह पुत्र श्री घारीराम लोधी
निवासीगण—ग्राम बुढेरा, तहसील ईसागढ़ा, जिला अशोक नगर, (म.प्र.)

3 करन सिंह पुत्र श्री संतोष यादव, निवासी—ग्राम तेरही, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

4 तखत सिंह पुत्र श्री अमान सिंह लोधी,

5 सिरनाम सिंह पुत्र अमान सिंह लोधी,
निवासीगण—ग्राम चंदोरिया, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/12—13/अपील मे पारित आदेश दिनांक 09/01/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अनावेदक क्रमांक—1 व 2 की मां श्रीमती कमला एवं उसके भाई सिरनाम सिंह एवं तखत सिंह के समक्ष नामातंरण आदेश पारित किये गये थे, जिसकी उन्हें भलीभांति जानकारी थी। श्रीमती कमला द्वारा अपने जीवनकाल में नामातंरण आदेशों को कभी कोई चुनौती नही दी गयी ऐसी स्थिति में 12 वर्ष का असाधारण बिलंव क्षमा नही किया जा सकता।

rd-1com-3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./909/तीन/2014 जिला शिवपुरी

शिवेन्द्र विरूद्ध अमोल सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 109/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 09/1/2014 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	